मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4962

23.03.2026 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों के हमले के पीड़ितों को विशेष राहत पैकेज

4962. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के शिर्डी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वन्य जीवों के हमले के कारण घायल हुए लोगों और मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए तत्काल मुआवजा और विशेष राहत पैकेज जारी करने का विचार है,

(ख) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि वर्तमान मुआवजा प्रक्रिया पीड़ितों के लिए अत्यधिक जटिल, धीमी और अप्रभावी सिद्ध हो रही है;

(ग) अब तक कितने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की गई है और कितने मामलों का निपटान किया जाना शेष है; और

(घ) क्या सरकार का प्रभावित परिवारों को तत्काल चिकित्सा सहायता, पुनर्वास सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभप्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) मानव-पशु संघर्षों के उपशमन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में प्रथम उत्तरदाता हैं और वे इस संघर्ष में शामिल प्रजातियों व उनके साथ हुए संघर्ष का विवरण रखते हैं।

मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' तथा 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन सहायता प्राप्त कार्यकलापों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, जंगली जानवरों को फसल के खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तारों की बाड़, सौर संचालित बिजली बाड़, जैव बाड़, सीमा पर दीवार आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और

स्थापना, मृत मवेशियों को उठाने, फसल नुकसान, जीवन और संपत्ति के नुकसान सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने इन योजनाओं के तहत दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी है, जो धन की उपलब्धता के अधीन है, और जिसका भुगतान भी इस संबंध में बनाए गए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों/प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

नीचे तालिका में विवरण दिए गए हैं:

क्र.सं.	**जंगली जानवरों से हुए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राशि राहत की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रुपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपये
iii.	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक का इलाज
iv.	संपत्ति/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण होने वाली चोटों सहित पशुधन, फसलों और मानव जीवन की हानि के लिए मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में भिन्न होते हैं।

मंत्रालय के दिनांक 6 फरवरी, 2021 के परामर्श के अनुसार, व्यक्तियों की मृत्यु अथवा चोट लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटों के भीतर अनुग्रह राशि का उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। इसमें अनुग्रह राशि के समय पर भुगतान के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों में समन्वय के लिए सुधार की भी अनुशंसा की गई है।
